विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के सात वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में ₹ 32.49 करोड़ से संबंधित 11 पैराग्राफ है जो कि खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां, अक्षम परियोजना प्रबंधन, आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाना तथा आंतरिक नियंत्रण में कमी से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया हैः

भण्डार की खरीद एवं मालसूची प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2010-11 के प्रतिवेदन संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में बताए गए 32 सिफारिशों के आधार पर, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने लेखापीरक्षा सिफारिशों को लागू करने के लिए मापे जाने लायक समयावधि के साथ विस्तृत कार्य योजना पेश की। डी.ए.ई. द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के लागू होने की जांच के लिए एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि 32 सिफारिशों में से केवल छः का पूरी तरह कार्यान्वयन हुआ। जबकि सात सिफारिशों में आंशिक कार्यान्वयन पाया गया, 16 सिफारिशों में प्रगति महत्वहीन थी। तीन सिफारिशों के प्रति बताए गए कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

क्रय के योजना, समय सारणी के पालन तथा अनुबंध प्रबंधन में कमियां कायम थी। सामग्री प्रबंधन कार्य के कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन महत्वहीन था।

अतः कुल मिलाकर, डी.ए.ई. द्वारा खुद के बताए योजना के प्रति कार्यान्वयन अपर्याप्त था।

(पैराग्राफ 2.1)

स्टीम टर्बाइन जेनरेटर का प्रतिष्ठापन न होना

भारी जल बोर्ड तथा क्रय एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई द्वारा अक्षम ठेका प्रबंधन के कारण एक स्टीम टर्बाइन जेनरेटर 10 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40 करोड़ की अनुमानित विद्युत उत्पादन का अवसर खोने के साथ इसकी खरीद पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ अवरूद्ध हो गए।

(पैराग्राफ 2.2)

अनियमित प्रशासनिक तथा हकदारी प्रचालन

स्टेम कोशिका जीव विज्ञान एवं पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूरू ने अपने प्रशासन तथा हकदारी मामलों में सरकारी नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अपात्र अभ्यर्थियों की भर्ती पदों के सृजन हेतु संस्वीकृति बिना स्टाफ की भर्ती, अपने स्टाफ को ₹ 2.86 करोड़ के उच्च हकदारियों का भुगतान, आदि जैसी अनियमितताएं हुई।

(पैराग्राफ 3.1)

बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद पर निष्फल व्यय

कोशिकीय एवं आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद ने जैव सुरक्षा स्तर-3 सुविधा का समुचित अधिष्ठापन सुनिश्चित किए बगैर 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान द्वारा खरीदा। उस सुविधा में समस्याएँ थी, जिसे दूर नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप इसके खरीद पर किया गया ₹ 1.90 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 4.1)

प्रशासन, वित्त और संबंधित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने आंतरिक रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत कार्यचालन (सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए.) का विकास किया। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. को सभी केन्द्रों पर लागू किया गया था। प्रणाली में उचित अंतर्निहित वैधीकरण जाँचों और अनुप्रयोग नियंत्रणों की कमी थी। कुछ कारोबार नियम शामिल नहीं किए गए थे। प्रणाली में डाटा एंट्री नियमित नहीं थी। परिणामस्वरूप, प्रणाली से ली गई सूचना अपूर्ण, गलत तथा

असंगत थी जिसके कारण अल्प डाटा सत्यनिष्ठा और मानवीय प्रचालनों पर महत्वपूर्ण निर्भरता हुई, जिसके कम्प्यूटरीकृत परिवेश में कार्यचालन का उद्देश्य विफल कर दिया।

(पैराग्राफ 5.1)

टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

अंतरिक्ष विभाग ₹ 30.18 करोड़ व्यय करने के बाद भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपग्रह संचार का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। 389 स्थापित नेटवर्कों में केवल 150 कार्यरत थे। इसके अलावा, लाभार्थी अस्पतालों का चयन अनियमित था, देश के सुदूर एवं आंतरिक क्षेत्रों हेतु उपग्रह क्षमता अपर्याप्त थी और ₹ 14.12 करोड़ मूल्य के के.ए. बैंड भू टर्मिनल उपयोग में नहीं लाए जा सके।

(पैराग्राफ 5.2)

प्रोपेलैंट टैंकों हेतु सामग्री पर अपव्यय

अंतरिक्ष विभाग ने प्रक्षेपण यान के प्रोपेलैंट टैंक में विफलता का कारण पाई गई सामग्री को चरणबद्ध तरीके से निकालने हेतु कोई निर्धारित समयबद्ध कार्य योजना नहीं बनाई जिसका परिणाम हुआ कि एक प्रोपेलैंट टैंक की लागत और 65 टन सामग्री जो भण्डार में रही और जो कि अंत में निषिद्ध करना पड़ा में ₹ 3.49 करोड़ का अपव्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

उपकरण के विलम्बित अधिष्ठापन के कारण हुई हानि

सीमित क्रियाशील आयु वाले उपग्रह में एक आरूढ़ प्रणाली की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन में विलम्ब के लिए अंतरिक्ष विभाग ने परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को माफ कर दिया और उसके कारण ठेकेदार को ₹ 1.16 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके अतिरिक्त, विलम्ब के परिणामस्वरूप इसकी क्रियाशील आयु का आनुपातिक रूप से कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.4)

परामर्शी सेवाओं पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग ने फर्म के चयन में यथोचित परिश्रम किए बिना नई दिल्ली में भवन निर्माण के लिए स्थापत्य संबंधी एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक फर्म की नियुक्ति की। जब फर्म वैधानिक प्राधिकरण के प्रारंभिक डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा ने

कर सका, तब अंतरिक्ष विभाग ने संविदा रद्द कर दी एवं आंतरिक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप, फर्म को भुगतान किया गया ₹ 1.04 करोड़ निष्फल साबित हुआ।

(पैराग्राफ 5.5)

विलवणीकरण संयंत्र की गैर-स्थापना और अपव्यय

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने लक्षद्वीप के छः द्वीपों के तकनीकी-आर्थिक स्थिति का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किए बिना और साथ ही इतने बड़े पैमाने पर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वहां के संसाधनों का मूल्यांकन किए बिना विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना पर परियोजना का दायित्व लिया। जिसका परिणामस्वरूप यह हुआ कि छः द्वीपों में से सिर्फ दो द्वीपों पर ही संयंत्रों की स्थापना हुई। शेष अन्य चार संयंत्र साइटों में से ₹ 4.32 करोड़ की लागत से स्थापित एक संयंत्र साइट संबंधित समस्याओं के कारण क्रियाशील नहीं रहे, परिणामतः अपव्यय हुआ। एन.आई.ओ.टी. ने परियोजना पर ₹ 37.54 करोड़ व्यय किए। ₹ 69.28 करोड़ की राशि एन.आई.ओ.टी. के पास व्यर्थ रही।

(पैराग्राफ 6.1)